

क्रमांक-विद्या/एच/11/2008/2752
प्रति,


भोपाल, दिनांक 27-09-2008


- 2- समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश.
समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश.

विषय :- नियमित अध्ययन हेतु प्रावधानित छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति/प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों/संस्थानों द्वारा कक्षा 01 से 12वीं
तक के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ प्रावधानित छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति/प्रोत्साहन योजनायें है,
जिनका विवरण संलग्न है।

इन छात्रवृत्तियों की जानकारी संभाग/जिलान्तर्गत प्रत्येक विद्यालय को दी जाये तथा यह
सुनिश्चित किया जाये कि निर्धारित तिथि के पूर्व आवेदन-पत्र भरने, प्रेषण आदि की समस्त कार्यवाही
अनिवार्य रूप से संपन्न हो जाये।



प्रायः देखने में आया है कि पात्रता के उपरान्त भी हितग्राहियों को छात्रवृत्ति का लाभ
जानकारी के अभाव में नहीं मिल पाता है। अतः अनुरोध है कि इनके व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक
कार्यवाही की जाए।


(डॉ० अवध किशोर मिश्रा)
संचालक


लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 27/9/2008

पृष्ठां. क्रमांक-विद्या/एच/11/2008/2753
प्रतिलिपि :-

- 1- आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश अपने अधीनस्थ संस्थाओं को अवगत कराने का कष्ट
करें।
- 2- आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।
- 3- सचिव, राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग मध्यप्रदेश।
- 4- आयुक्त, जनसम्पर्क की ओर भेजकर अनुरोध है कि संलग्न छात्र कल्याणकारी छात्रवृत्तियों का
व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निर्देशित किया जाये तथा प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के
रूप में इस प्रकार प्रकाशित कराया जाये कि प्रदेश के सभी जिलों में इसका प्रकाशन हो सके।
- 5- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।


संचालक 27/9/08
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

46


क्रमांक/विद्या/एच/11/2008/2754

भोपाल, दिनांक 27/09/2008

विषय :- नियमित अध्ययन हेतु प्रावधानित छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति/प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी

निम्नानुसार छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति/प्रोत्साहन योजनाओं हेतु पात्र छात्र-छात्रायें संबंधित विभाग/ संस्थान/ वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर समयावधि में आवेदन-पत्र जमा करने आदि का कार्य संपन्न कर सकते हैं।

स. क्र.	छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति का नाम	कक्षा	विस्तृत जानकारी हेतु पता/विभाग/वेबसाइट
1	मृत/अपंग/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति/पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति	01 से 12 वीं तक	छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति के संबंध में आवेदन पत्र, विस्तृत विवरण, दर एवं शर्तें लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र क्रमांक-2075-76 दिनांक-6/9/08 के द्वारा जारी किये गये हैं।
2	समर्पण करने वाले दस्यु एवं दस्यु पीड़ित परिवारों के बच्चों को शिष्यवृत्ति	01 से 12 वीं तक	संपर्क हेतु पता:- संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय वेबसाइट www.sednmp.nic.in
3	सैनिक स्कूल रीवा हेतु छात्रवृत्ति	06 से 12वीं तक	
4	परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं में प्रथमा एवं मध्यमा कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए संस्कृत छात्रवृत्ति	प्रथमा से मध्यमा तक	
5	सामान्य निर्धन वर्गके विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति /शिष्यवृत्ति /प्रोत्साहन	वार्षिक आय रुपये 54,000/-	
5.1	स्वामी विवेकानन्द पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति योजना,	11 वीं से 12 वीं तक	
5.2	सुदामा छात्रवृत्ति शिष्यवृत्ति योजना	09 वीं से 10 वीं तक	
5.3	सुदामा शिष्यवृत्ति योजना,	11 वीं से 12 वीं तक	
5.4	डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम मेधावी छात्र पुरस्कार योजना,	माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 12 वीं उत्तीर्ण। प्रत्येक जिले से संकायवार एक छात्र एवं एक छात्रा	
5.5	सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति	06वीं से 08 वीं तक	राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल
6	संस्कृत विषय लेकर अध्ययन करने वाले नियमित विद्यार्थियों हेतु संस्कृत छात्रवृत्ति	09 वीं से 12 वीं तक पूर्व मध्यमा/उत्तर मध्यमा/प्राक शास्त्री तथा समकक्ष	आवेदन-पत्र सीधे रजिस्ट्रार राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 56-57 इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058 के पास दिनांक 15-12-2008 तक भेजे जाने हैं, वेबसाइट www.sednmp.nic.in तथा वेबसाइट www.sanskrit.nic.in अथवा रोजगार समाचार 9-15 अगस्त 2008 पेज- 60 पर विस्तृत विवरण देखें।
7	मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना 2007 अंतर्गत छात्रवृत्ति/मेधावी पुरस्कार योजना	01 से 12 वीं तक	सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल से आवेदन पत्र, विस्तृत विवरण, दर एवं शर्तों संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी संबंधित जनपद पंचायत को भिजवायें।
8	अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु पोस्ट मेट्रिक एवं प्री-मेट्रिक छात्रवृत्ति	01 से 12 वीं तक	पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आधार तल, सतपुड़ा भवन भोपाल वेबसाइट www.mp.gov.in/bcwelfare
9	मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों के पुत्र/पुत्रियों के लिए	09 से 12 वीं तक	श्रम विभाग, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, डी ब्लाक, पुराना सचिवालय, भोपाल अशा० विद्यालय हेतु संकुल प्राचार्य को आवेदन प्रस्तुत करें। संपूर्ण जानकारी हेतु जिला कलेक्टर कार्यालय में संपर्क करें।
10	राज्य छात्रवृत्ति अनु.जाति/ज.जा/पिछड़ा वर्ग	01 से 12 वीं तक	जिला संयोजक/सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग



संचालक 27/9/08

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश